

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.27(9)न्याय/2019


जयपुर, दिनांक 29/4/2019

आज्ञा

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के परिपत्र दिनांक 09.03.2019 के क्रम में विधि विभाग की अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन परम्परागत मुद्रण प्रणाली के बजाय राज ई-गजट मोड्यूल से ऑनलाइन किये जाने हेतु संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग को दिनांक 01.04.2019 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना की सॉफ्ट प्रति हिन्दी (मंगल फॉन्ट) अथवा अंग्रेजी (Times New Roman Font) में अपलोडर के द्वारा अपलोड व नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् ई-गजट पोर्टल के माध्यम से राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय को प्रेषित करने का प्रावधान है।

अतः राजपत्र में प्रकाशन हेतु भिजवाये जाने वाली अधिसूचना की हार्ड प्रति के साथ में सॉफ्ट प्रति आवश्यक रूप से जरिये ई-मेल- [law.dept@rajasthan.gov.in](mailto:law.dept@rajasthan.gov.in) अथवा सीडी से भिजवाना सुनिश्चित करें।




संयुक्त शासन सचिव

नोडल अधिकारी (राज ई-गजट मोड्यूल)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
2. शासन सचिव, विधि विभाग।
3. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन) विभाग।
4. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
5. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग।
6. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग।
8. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव

नोडल अधिकारी (राज ई-गजट मोड्यूल)